


<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज दीपक कुमार बनाम राज0 सरकार व अन्य अपील संख्या:-जीसीएमएस नम्बर 2024 / 270</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए</p>
<p>07.10.2024</p>	<p>प्रार्थना पत्र शीघ्र सुनवाई पेश होने पर पत्रावली आज पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अपीलांत द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत अपील विद्धो करने प्रस्तुत करने पर बहस सुनी गई। वकील अपीलार्थी श्री कृष्ण कुमार पारीक, एडवोकेट ने प्रार्थना पत्र विद्धो करने के तथ्य को दोहराते हुए कथन किया कि उपरोक्त उनवानी अपील में पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो गया है और राजीनामा अनुसार अपीलार्थीगण इस अपील में अग्रिम कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते हैं। इसलिये उपरोक्त अपील में विद्धो किया जाना आवश्यक है। अतः आवेदन मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि आवेदन स्वीकार फरमाया जाकर उपरोक्त अपील में अपील को विद्धो किये जाने के आदेश पारित फरमाये जावे जिसमें अधिवक्ता रेस्पोंडेंट ने अपील विद्धो बाबत अनापत्ति जाहिर की।</p> <p>हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया जिससे जाहिर होता है कि पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने से प्रार्थीगण स्वयं ही अपनी अपील आगे नहीं चलाना चाहते हैं। ऐसी रिथति में अब इस अपील को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। वकील अपीलांत द्वारा प्रार्थीगण के पहचान पत्र को तस्दीक किया गया।</p> <p>अतः अपीलार्थीगण का प्रार्थना पत्र विद्धो स्वीकार किया जाता है तथा अपीलार्थीगण स्वयं अपील विद्धो किये जाने के कारण अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। इस न्यायालय की पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर पूर्ति लेख भण्डार हो।</p> <p style="text-align: center;">  रमेश गुप्ता (रश्मि गुप्ता) संभागीय आयुक्त जयपुर </p>	